पत्र सं0-सचलदल-क्षेत्राधिकार-2013-14/ 1602/1314062 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

सचल दल- अनुभाग

उत्तर प्रदेश

लखनऊ ::दिनांक: 07 अक्टूबर, 2013

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर ,

2-समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) , वाणिज्य कर ,

3-समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) , वाणिज्य कर ,

4- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर/असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर/

वाणिज्य कर अधिकारी , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के पत्र संख्या सचल दल - ट्रांजिट पास-2013-14/1601 /वाणिज्य कर दि0 07.10.2013 के द्वारा परिपत्र संख्या सचल दल - ट्रांजिट पास-2013-14/1341/1314041/वाणिज्य कर दिनांक 03.09.2013 तथा पत्र संख्या सचल दल - ट्रांजिट पास-2013-14/1556/1314054/वाणिज्य कर दिनांक 01.10.2013 द्वारा राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य से होते हुए राज्य के बाहर गन्तव्य के लिए जाने वाले माल सहित वाहन के परिप्रेक्ष्य में पारगमन पत्र से संबंधित लागू नई व्यवस्था का समुचित अनुपालन न करने तथा दिये गये निर्देशानुसार पारगमन पत्र की खारिजी न करने आदि विसंगतियों के संबंध में विधि सम्मत अर्थदण्ड/कर निर्धारण की कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 6 के उपनियम (7) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर निर्धारण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । इस संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

1- विभागीय वेबसाइट Comtaxup.nic.in में उपलब्ध एम0आई0एस0 रिपोर्ट में नामित कर निर्धारण अधिकारियों के Login पर ऐसे Transit Declaration Form (TDF) से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होगी जिनके द्वारा परिपत्र में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए TDF - 2 दाखिल नहीं किया गया है अथवा बहती से संबंधित परिवहन किये जा रहे मामलों में अन्य किसी प्रकार की अनियमितता के प्रकाश में आने पर संबंधित प्रकरणों में नामित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिअनुसार अर्थदण्ड/करनिर्धारण आदि की कार्यवाही की जायेगी ।

2- मुख्यालय के आई0टी0अनुभाग द्वारा Transit Declaration Form (TDF) से संबंधित Exception Report तैयार की जायेगी तथा इसे एडीशनल कमिश्नर /ज्वाइन्ट कमिश्नर/उपर्युक्त कर निर्धारण अधिकारियों के Loginपर उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इन प्रकरणों में आवश्यक विधिक कार्यवाही निष्पादित हो सके ।

3- उपरोक्तानुसार Transit Declaration Form (TDF) से संबंधित रिपोर्ट को Download करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा पदनाम, जोन, सम्भाग तथा कार्यालय का चयन आवश्यकतानुसार Dropdown से करते हुए मुख्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अपने Password से Login किया जायेगा । इसके पश्चात Report Menu में उपलब्ध TDF के लिंक पर Click करते हुए आवश्यकतानुसार अपेक्षित रिपोर्ट Download की जायेगी ।

4- जिस भी जोन में जोनल एडीशनल कमिश्नर को यह स्पष्ट होता है कि उनके यहाँ त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जो संख्या उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकाश में आई है, उसके दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही हेतु नामित कर निर्धारण अधिकारियों की संख्या यदि कम है, तो वह उक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार और अधिक कर निर्धारण अधिकारी नामित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेंगे , जिस पर विचार करते हुए अपेक्षानुरुप कर निर्धारण अधिकारी नामित किए जायेंगे ।

5- उपर्युक्त कर निर्धारण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध TDF के त्रुटिपूर्ण मामलों के संबंध में त्वरित विधिक कार्यवाही करेंगे ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

7.10.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश